

कार्ड अहकाम

(निबन्ध 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

सिवर नगर बंगला नं. 510 खीरबिंद 2) जयपुर

कार्ड नुम्बर 326/18

तारीख हुन	हुन का कार्यवाही का इतिहास जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुन की तारीख में जारी हुए
19.2.18	<p>पहली हल्ला की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान अ-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर फतावली दिनांक 28.2.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार तहसील-महवा (बीसा)</p>	
28/2/18	<p>फतावली पेश हुई। आवक लगवाइ गइ। अतिक्रमी उपस्थित आया है आज फीमान पीठसीन अधिकारी अवकाश पर है। फतावली दिनांक 09/3/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार तहसील-महवा (बीसा)</p>	<p>जालान</p>
09/3/18	<p>आज फतावली पेश हुई। आवक लगवाइ गइ। अतिक्रमी उपस्थित आया है अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया जमा खीनर किया गया है। अहम शेर की अतिक्रमण ठूम से अतिक्रमी को अतिक्रमण से लेकर ल किया जा रहा है। बिना विचार फुल से लिया जाकर खिलान फतावली है।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार तहसील-महवा (बीसा)</p>	<p>जालान</p>

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 326/18 तारीख रज 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का दीव्या बनाम
 श्री श्रीलाल सिंह पुत्र श्रीलाल सिंह जाति राजपूत निवासी श्रीत तहसील
महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 09/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री श्रीलाल सिंह ने ग्राम श्रीत को भूमि ख.न. 391 रकबा 0.02 किस्म गोबरवासा फसल रेबि / खरीफ संवत् 20 74 में गोदु कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 391 रकबा 0.02 किस्म गोबरवासा वाके ग्राम श्रीत से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.310050 गुणा 16% शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल गोदु को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[Signature]
तहसीलदार

तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेश नं० 63 पर
 वर्ष 2017/18 में निलाम नीलामी
 की राशि तहसील रकबे 16%
 की जमा कायमी की गई है।
 दिनांक : 21/3/18 तहसील [Signature]
 लेखाकार
 तहसील-महवा